

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 56

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	20693.84	16824.76	37518.60	23850.89	19332.81	43183.70	22297.30	19422.40	41719.70	25598.15	16415.85	42014.00
<i>वसूलियां</i>	-258.28	-314.00	-572.28	-2565.41	-0.45	-2565.86	-965.41	-0.45	-965.86	-248.42	-0.45	-248.87
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	20435.56	16510.76	36946.32	21285.48	19332.36	40617.84	21331.89	19421.95	40753.84	25349.73	16415.40	41765.13
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय												
1.01	सचिवालय	10.99	...	10.99	12.14	...	12.14	12.14	...	12.14
1.02	अंतरराष्ट्रीय योगदान	0.47	...	0.47	2.05	...	2.05	2.35	...	2.35	2.05	...
जोड़- सचिवालय		11.46	...	11.46	14.19	...	14.19	14.49	...	14.49	2.05	...
2. सचिवालय												
2.01	सचिवालय	73.82	...	73.82	80.49	...	80.49	79.89	...	79.89	97.11	...
<i>निवल</i>		73.82	...	73.82	80.49	...	80.49	79.89	...	79.89	97.11	...
2.02	केंद्रीय लोक कार्य विभाग (प्रशिक्षण संस्थान, आर एंड डी और कम्प्यूटरीकरण सहित)	1023.03	...	1023.03	1101.00	...	1101.00	1100.00	...	1100.00	1228.56	...
<i>निवल</i>		1023.03	...	1023.03	1101.00	...	1101.00	1100.00	...	1100.00	1228.56	...
2.03	संपदा निदेशालय	84.95	...	84.95	71.26	...	71.26	71.26	...	71.26	68.39	...
2.04	भूमि और विकास कार्यालय की स्थापना	10.42	...	10.42	10.76	...	10.76	11.16	...	11.16	12.04	...
जोड़- सचिवालय		1192.22	...	1192.22	1263.51	...	1263.51	1262.31	...	1262.31	1406.10	...
3. संबद्ध कार्यालय/स्वायत्त संगठन												
3.01	शहर और देश योजना संगठन	10.04	...	10.04	11.43	...	11.43	11.43	...	11.43	12.12	...
3.02	राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान	4.50	...	4.50	4.80	...	4.80	4.80	...	4.80	5.10	...
3.03	दिल्ली शहरी कला आयोग	3.96	...	3.96	3.70	...	3.70	3.70	...	3.70	3.92	...
3.04	नगरपालिका के कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु सहायता अनुदान	9.60	...	9.60	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	15.00	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.05 एनसीआर आयोजना बोर्ड	54.40	...	54.40	54.70	...	54.70	54.70	...	54.70	55.06	...	55.06
3.06 विभागीय कैटीन सहित राजघाट समाधि समिति	8.77	...	8.77	9.10	...	9.10	9.10	...	9.10	10.24	...	10.24
जोड़- संबद्ध कार्यालय/स्वायत्त संगठन	91.27	...	91.27	95.73	...	95.73	95.73	...	95.73	101.44	...	101.44
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	1294.95	...	1294.95	1373.43	...	1373.43	1372.53	...	1372.53	1509.59	...	1509.59
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाएं												
4. दिल्ली मेट्रो रेल निगम को अनुदान	52.97	...	52.97	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00	50.00	...	50.00
5. मेट्रो परियोजनाएं												
5.01 इक्विटी निवेश	...	1433.20	1433.20	...	2700.01	2700.01	...	3431.17	3431.17	...	2341.00	2341.00
5.02 अधीनस्थ ऋण	...	1228.86	1228.86	...	1465.99	1465.99	...	1787.85	1787.85	...	1550.00	1550.00
5.03 पास श्रु सहायता	...	12583.58	12583.58	...	13644.00	13644.00	...	12591.00	12591.00	...	10373.60	10373.60
जोड़- मेट्रो परियोजनाएं	...	15245.64	15245.64	...	17810.00	17810.00	...	17810.02	17810.02	...	14264.60	14264.60
6. शहरी परिवहन में परिवहन आयोजना और क्षमता निर्माण	27.93	...	27.93	39.81	...	39.81	39.81	...	39.81	26.30	...	26.30
7. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	659.00	659.00
8. वैश्विक पर्यावरण सुविधा	0.09	...	0.09	0.18	...	0.18	0.18	...	0.18	0.10	...	0.10
जोड़-एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाएं	80.99	15245.64	15326.63	189.99	17810.01	18000.00	189.99	17810.03	18000.02	76.40	14923.60	15000.00
9. राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और सुदृढीकरण योजना (हृदय)	141.57	...	141.57	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00	161.50	...	161.50
सामान्य पूल आवास												
10. आवासीय												
10.01 आवासीय	803.20	745.82	1549.02	860.77	831.10	1691.87	894.77	760.63	1655.40	931.50	764.75	1696.25
11. गैर-आवासीय												
11.01 गैर-आवासीय	714.63	831.69	1546.32	740.49	691.20	1431.69	755.49	851.24	1606.73	778.05	675.00	1453.05
	-3.94	...	-3.94	-15.41	-0.45	-15.86	-15.41	-0.45	-15.86	-15.41	-0.45	-15.86
निवल	710.69	831.69	1542.38	725.08	690.75	1415.83	740.08	850.79	1590.87	762.64	674.55	1437.19
जोड़-सामान्य पूल आवास	1513.89	1577.51	3091.40	1585.85	1521.85	3107.70	1634.85	1611.42	3246.27	1694.14	1439.30	3133.44
पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाएं												
12. पूर्वोत्तर क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजनाएं												
12.01 भारत सरकार का अंशदान	44.36	...	44.36	30.52	...	30.52	30.52	...	30.52	56.00	52.00	108.00
12.02 ईएपी घटक	103.95	...	103.95	69.48	...	69.48	69.48	...	69.48	142.00	...	142.00
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजनाएं	148.31	...	148.31	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	198.00	52.00	250.00
13. पूर्वोत्तर में अन्य परियोजनाएं	200.00	...	200.00	146.85	...	146.85	146.85	...	146.85	150.00	...	150.00
जोड़-पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाएं	348.31	...	348.31	246.85	...	246.85	246.85	...	246.85	348.00	52.00	400.00
14. भारत अवसंरचना कोष को अंतरण	314.00	...	314.00
	...	-314.00	-314.00
निवल	314.00	-314.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	2398.76	16509.15	18907.91	2172.69	19331.86	21504.55	2221.69	19421.45	21643.14	2280.04	16414.90	18694.94
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
15. लेखन सामग्री नियंत्रक	36.35	...	36.35	41.14	...	41.14	41.14	...	41.14	57.15	...	57.15
	-5.86	...	-5.86	-3.00	...	-3.00	-3.00	...	-3.00	-3.00	...	-3.00
<i>निवल</i>	<i>30.49</i>	<i>...</i>	<i>30.49</i>	<i>38.14</i>	<i>...</i>	<i>38.14</i>	<i>38.14</i>	<i>...</i>	<i>38.14</i>	<i>54.15</i>	<i>...</i>	<i>54.15</i>
16. मुद्रणालय	182.40	1.61	184.01	197.92	0.50	198.42	197.51	0.50	198.01	205.45	0.50	205.95
	-145.05	...	-145.05	-235.01	...	-235.01	-235.01	...	-235.01	-220.01	...	-220.01
<i>निवल</i>	<i>37.35</i>	<i>1.61</i>	<i>38.96</i>	<i>-37.09</i>	<i>0.50</i>	<i>-36.59</i>	<i>-37.50</i>	<i>0.50</i>	<i>-37.00</i>	<i>-14.56</i>	<i>0.50</i>	<i>-14.06</i>
17. अन्य संगठन	26.97	...	26.97	28.24	...	28.24	28.65	...	28.65	9.05	...	9.05
	-2.13	...	-2.13	-11.99	...	-11.99	-11.99	...	-11.99	-10.00	...	-10.00
<i>निवल</i>	<i>24.84</i>	<i>...</i>	<i>24.84</i>	<i>16.25</i>	<i>...</i>	<i>16.25</i>	<i>16.66</i>	<i>...</i>	<i>16.66</i>	<i>-0.95</i>	<i>...</i>	<i>-0.95</i>
18. प्रकाशन नियंत्रक	28.34	...	28.34	30.25	...	30.25	30.25	...	30.25	37.46	...	37.46
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	121.02	1.61	122.63	47.55	0.50	48.05	47.55	0.50	48.05	76.10	0.50	76.60
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	121.02	1.61	122.63	47.55	0.50	48.05	47.55	0.50	48.05	76.10	0.50	76.60
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं												
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)												
19. पीएमएवाई-शहरी												
19.01 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूह हेतु ऋण से जुड़ी सस्मिडी योजना-I	475.00	...	475.00	400.00	...	400.00	800.00	...	800.00	1000.00	...	1000.00
19.02 मध्यम आय समूह के लिए ऋण से जुड़ी सस्मिडी योजना-II	1000.00	...	1000.00	600.00	...	600.00	900.00	...	900.00
19.03 क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटी)	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00
19.04 समावेशी शहरी अभिशासन हेतु संस्थागत विकास, निर्माण सामग्री तथा प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद तथा राष्ट्रीय भवन संगठन	12.00	...	12.00	11.81	...	11.81	10.86	...	10.86	14.08	...	14.08
19.05 केन्द्रीय घटक की अन्य मदें	25.34	...	25.34	55.00	...	55.00	55.00	...	55.00	74.00	...	74.00
19.06 जापानी बुधार और एक्यूट एनसिफेलिटिस सिंड्रोम से प्रभावित गंदी बस्तियों में पेयजल आपूर्ति की योजना	10.00	...	10.00
19.07 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक की अन्य मदें	4353.51	...	4353.51	4551.00	...	4551.00	4561.65	...	4561.65	4501.92	...	4501.92
<i>जोड़- पीएमएवाई-शहरी</i>	<i>4880.85</i>	<i>...</i>	<i>4880.85</i>	<i>6042.81</i>	<i>...</i>	<i>6042.81</i>	<i>6042.51</i>	<i>...</i>	<i>6042.51</i>	<i>6505.00</i>	<i>...</i>	<i>6505.00</i>
राष्ट्रीय आजीविका मिशन-आजीविका												
20. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
20.01 केंद्रीय घटक	12.50	...	12.50	20.02	...	20.02	11.11	...	11.11	15.56	...	15.56
20.02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक	316.18	...	316.18	328.98	...	328.98	337.89	...	337.89	294.44	...	294.44
जोड़- दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)	328.68	...	328.68	349.00	...	349.00	349.00	...	349.00	310.00	...	310.00
21. वास्तविक वसूलियां	-0.61	...	-0.61
शहरी पुनर्जागरण अभियान : अमृतऔर स्मार्ट सिटी मिशन												
22. अटल पुनर्जागरण और शहरी सुधार मिशन												
22.01 शहरी पुनर्जागरण मिशन - 500 शहर	4803.01	...	4803.01	4943.00	...	4943.00	4943.00	...	4943.00	6000.00	...	6000.00
22.02 उप-शहरों/काउंटर मैगनेट शहर में शहरी अवसंचना विकास	56.99	...	56.99	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
22.03 शहरी और स्थानीय निकायों के लिए क्षमता निर्माण (सी-ब्लब)	3.41	...	3.41	5.00	...	5.00	3.60	...	3.60
22.04 राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00	2.01	...	2.01
जोड़- अटल पुनर्जागरण और शहरी सुधार मिशन	4864.41	...	4864.41	5000.00	...	5000.00	4998.61	...	4998.61	6000.00	...	6000.00
23. स्मार्ट सिटी मिशन												
23.01 100 स्मार्ट शहरों के विकास का मिशन	4493.65	...	4493.65	3989.50	...	3989.50	3989.50	...	3989.50	6000.00	...	6000.00
	-100.69	...	-100.69
निवल	4392.96	...	4392.96	3989.50	...	3989.50	3989.50	...	3989.50	6000.00	...	6000.00
23.02 शहरी विकास हेतु क्षमता निर्माण (सी-ब्रड)	19.33	...	19.33	10.50	...	10.50	10.50	...	10.50	169.00	...	169.00
जोड़- स्मार्ट सिटी मिशन	4412.29	...	4412.29	4000.00	...	4000.00	4000.00	...	4000.00	6169.00	...	6169.00
जोड़-शहरी पुनर्जागरण अभियान : अमृतऔर स्मार्ट सिटी मिशन	9276.70	...	9276.70	9000.00	...	9000.00	8998.61	...	8998.61	12169.00	...	12169.00
स्वच्छ भारत मिशन												
24. स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) शहरी												
24.01 राष्ट्रीय स्वच्छता कोष को अंतरण	2300.00	...	2300.00	700.00	...	700.00
24.02 राष्ट्रीय स्वच्छता कोष से वित्तपोषित योजनाएं - केंद्रीय घटक	100.70	...	100.70	471.26	...	471.26
24.03 राष्ट्रीय स्वच्छता कोष से पूरा किया गया	-2300.00	...	-2300.00	-700.00	...	-700.00
24.04 राष्ट्रीय स्वच्छता कोष से वित्तपोषित योजना - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक	2034.51	...	2034.51	1828.74	...	1828.74	700.00	...	700.00
24.05 कुल बजट सहायता	1600.00	...	1600.00	2500.00	...	2500.00
जोड़- स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) शहरी	2135.21	...	2135.21	2300.00	...	2300.00	2300.00	...	2300.00	2500.00	...	2500.00
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	16620.83	...	16620.83	17691.81	...	17691.81	17690.12	...	17690.12	21484.00	...	21484.00
कुल जोड़	20435.56	16510.76	36946.32	21285.48	19332.36	40617.84	21331.89	19421.95	40753.84	25349.73	16415.40	41765.13

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. योजना परिव्यय												
सामान्य सेवाएं												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	84.81	...	84.81	92.63	...	92.63	92.03	...	92.03	97.11	...	97.11
2. लेखन सामग्री और छपाई	113.75	...	113.75	49.67	...	49.67	49.67	...	49.67	77.33	...	77.33
3. लोक निर्माण कार्य	1752.91	...	1752.91	1845.94	...	1845.94	1860.34	...	1860.34	2013.48	...	2013.48
4. लेखन सामग्री और छपाई पर पूंजी परिव्यय	...	1.61	1.61	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50
5. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	...	807.48	807.48	...	657.75	657.75	...	832.79	832.79	...	652.55	652.55
जोड़-सामान्य सेवाएं	1951.47	809.09	2760.56	1988.24	658.25	2646.49	2002.04	833.29	2835.33	2187.92	653.05	2840.97
सामाजिक सेवाएं												
6. सामान्य शिक्षा	7.27	...	7.27	-2.12	...	-2.12	-2.12	...	-2.12	-1.23	...	-1.23
7. आवास	1415.35	...	1415.35	2415.89	...	2415.89	2449.24	...	2449.24	3005.02	...	3005.02
8. शहरी विकास	958.72	...	958.72	2992.82	...	2992.82	1642.69	...	1642.69	1167.50	...	1167.50
9. आवास पर पूंजी परिव्यय	...	745.82	745.82	...	831.10	831.10	...	760.63	760.63	...	764.75	764.75
10. शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	...	1433.20	1433.20	...	2700.02	2700.02	...	3431.18	3431.18	...	3000.00	3000.00
11. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	22.02	22.02	...	30.00	30.00	...	15.00	15.00	...	20.00	20.00
12. शहरी विकास के लिए ऋण	...	13498.44	13498.44	...	15109.99	15109.99	...	14378.85	14378.85	...	11923.60	11923.60
जोड़-सामाजिक सेवाएं	2381.34	15699.48	18080.82	5406.59	18671.11	24077.70	4089.81	18585.66	22675.47	4171.29	15708.35	19879.64
आर्थिक सेवाएं												
13. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	12.50	...	12.50	19.54	...	19.54	11.09	...	11.09	15.08	...	15.08
14. नौवहन पर पूंजी परिव्यय	...	2.19	2.19	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	2.00	2.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	12.50	2.19	14.69	19.54	3.00	22.54	11.09	3.00	14.09	15.08	2.00	17.08
अन्य												
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र	639.74	...	639.74	639.29	...	639.29	1158.57	...	1158.57
16. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	15625.85	...	15625.85	12993.22	...	12993.22	14301.91	...	14301.91	17487.17	...	17487.17
17. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	464.40	...	464.40	238.15	...	238.15	287.75	...	287.75	329.70	...	329.70
18. राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	52.00	52.00
जोड़-अन्य	16090.25	...	16090.25	13871.11	...	13871.11	15228.95	...	15228.95	18975.44	52.00	19027.44
कुल जोड़	20435.56	16510.76	36946.32	21285.48	19332.36	40617.84	21331.89	19421.95	40753.84	25349.73	16415.40	41765.13

(₹ करोड़)

	बजट 2018-2019			बजट 2017-2018			बजट 2016-2017		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			(₹ करोड़)		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	...	575.37	575.37	...	1491.00	1491.00	...	365.50	365.50	...	1315.00	1315.00
2. हाउसिंग एंड अर्बन डेवलेपमेंट कारपोरेशन	...	11294.04	11294.04	...	13716.00	13716.00	...	13716.00	13716.00	...	13040.00	13040.00
3. मेट्रो एवं एमआरटीएस परियोजनाएं	15245.64	1990.81	17236.45	17810.01	556.00	18366.01	17810.02	1476.91	19286.93	18911.06	1897.48	20808.54
जोड़	15245.64	13860.22	29105.86	17810.01	15763.00	33573.01	17810.02	15558.41	33368.43	18911.06	16252.48	35163.54

1.01. **सचिवालय:** प्रावधान सचिवालय के व्यय के लिए है। इसमें नेशनल बिल्डिंग संगठन, मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय और केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों कल्याण आवास संगठन को अनुदान पर खर्च भी शामिल है।

1.02. **अंतरराष्ट्रीय योगदान:** प्रावधान राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकार फोरम और एशिया प्रशांत क्षेत्र के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आवास एवं शहरी विकास पर करने के लिए मानव बस्तियों और वार्षिक सदस्यता शुल्क के लिए संयुक्त राष्ट्र के केंद्र के लिए योगदान भी शामिल है।

2.01. **सचिवालय:** प्रावधान राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकार के मंच के लिए अंतरराष्ट्रीय योगदान सहित शहरी विकास मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय

और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन को अनुदान के लिए है।

2.02. **केंद्रीय लोक कार्य विभाग (प्रशिक्षण संस्थान, आर एंड डी और कम्प्यूटरीकरण सहित):** प्रावधान प्रशिक्षण संस्थान और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कम्प्यूटरीकरण सहित सीपीडब्ल्यूडी के लिए सचिवालय के लिए कम्प्यूटरीकरण, स्थापना व्यय पर खर्च के लिए है।

2.03. **संपदा निदेशालय:** प्रावधान संपदा निदेशालय के कम्प्यूटरीकरण और सचिवालय व्यय के लिए है।

2.04. **भूमि और विकास कार्यालय की स्थापना:** प्रावधान भूमि एवं विकास कार्यालय की स्थापना व्यय के लिए है।

3. **संबद्ध कार्यालय/स्वायत्त संगठन:** 3.1-3.6

प्रावधान टाउन एंड कंट्री प्लानिंग संगठन जो शहरी और क्षेत्रीय योजना के साथ और शहरी मामलों के तकनीकी, सलाहकारी और परामर्शदायी राष्ट्रीय संस्थान है, दिल्ली शहरी कला आयोग, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और राजघाट समाधि समिति के लिए है।

4. **दिल्ली मेट्रो रेल निगम को अनुदान:** प्रावधान दिल्ली मेट्रो रेल निगम को अनुदान के लिए है।

5. **मेट्रो परियोजनाएं:** 5.01-5.03

प्रावधानों दिल्ली मेट्रो रेल निगम, बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, कोलकाता मेट्रो रेल निगम, मुंबई मेट्रो, जयपुर मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, विजाग मेट्रो, विजयवाड़ा मेट्रो, अहमदाबाद मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, नागपुर मेट्रो, पुणे मेट्रो, नोएडा - ग्रेटर नोएडा मेट्रो एवं अन्य मेट्रो रेल परियोजनाओं की इक्विटी, ऋण, सहायता के माध्यम से के लिए हैं।

6. **शहरी परिवहन में परिवहन आयोजना और क्षमता निर्माण:** प्रावधान परिवहन योजना और क्षमता निर्माण की योजना के लिए है।

7. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम:** प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम में इक्विटी निवेश के लिए है।

8. **वैश्विक पर्यावरण सुविधा:** प्रावधान वैश्विक पर्यावरण कोष की योजना के लिए है।

9. **राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और सुदृढीकरण योजना (हृदय):** प्रावधान राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास और बढ़ावा योजना के लिए है। इसका लक्ष्य सौंदर्य रूप से अनुकूल, पट्टे वाले, सूचनात्मक और सुरक्षित माहौल को बढ़ावा देकर शहर की विशिष्टता दर्शाने हेतु धरोहर शहर की विशेषता को संरक्षित करना और पुनरुद्धार करना है।

10. **आवासीय:** प्रावधान निर्माण और सरकारी आवासीय के रखरखाव के लिए है। मेजर / माइनर वर्क्स, फर्निशिंग, किराए, लीज के खर्च आदि शामिल है।

11.01. **गैर-आवासीय:** प्रावधान गैर-आवासीय कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए है, जिसमें राष्ट्रपति भवन, संसद, भारत के सर्वोच्च न्यायालय आदि शामिल है। इसमें मरम्मत और रख-रखाव, मुख्य/लघु कार्य फर्नीचिंग, किराया और लीज प्रभार भी शामिल हैं।

12. **पूर्वोत्तर क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजनाएं:** प्रावधान के एडीबी के माध्यम से सहायता प्राप्त उत्तर पूर्वी क्षेत्र शहरी विकास परियोजना के लिए है।

13. **पूर्वोत्तर में अन्य परियोजनाएं:** प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्य परियोजनाओं के लिए है।
15. **लेखन सामग्री नियंत्रक:** स्टेशनरी नियंत्रक केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए स्टेशनरी की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है।
16. **मुद्रणालय:** प्रावधान सरकार प्रिंटिंग प्रेस के लिए हैं, यह सरकार के थोक मुद्रण का काम है।
17. **अन्य संगठन:** मुद्रण निदेशालय, पर्चा स्टोर, छपाई निजी प्रेस के माध्यम से और टेक्स्ट बुक प्रेस के लिए प्रावधान शामिल है।
18. **प्रकाशन नियंत्रक:** प्रकाशन के नियंत्रक एक केन्द्रीय संगठन है जो सरकारी प्रकाशनों इकट्ठा, वितरित तथा बेचता है।
19. **पीएमएवाई-शहरी:** प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की योजना है, वर्ष 2022 तक हर घर के लिए पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य के लिए है।
- 19.01. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूह हेतु ऋण से जुड़ी सस्मिडी योजना-I:** यह प्रावधान क्रेडिट लिंकड सस्मिडी योजना (सी एल एस एस) -I के तहत ईडब्ल्यूएस / एलआईजी वर्ग के लिए आवास ऋण पर व्याज सस्मिडी प्रदान करने के लिए है।
- 19.02. **मध्यम आय समूह के लिए ऋण से जुड़ी सस्मिडी योजना-II:** यह प्रावधान क्रेडिट लिंकड सस्मिडी योजना (सी एल एस एस) -II के तहत MIG के लिए आवास ऋण पर व्याज सस्मिडी प्रदान करने के लिए है।
- 19.03. **क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटी):** क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत प्रावधान अनुसूचित विज्ञापनों / सहकारी बैंकों द्वारा कोलेटरल या तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना इस तरह के आवास ऋणों के लिए प्रभावी गारंटी प्रदान करना है।
- 19.04. **समावेशी शहरी अभिशासन हेतु संस्थागत विकास, निर्माण सामग्री तथा प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद तथा राष्ट्रीय भवन संगठन:** इस प्रावधान को बढ़ावा देने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी / प्रदर्शन के मकानों के लिए, समावेशी शहरी शासन के लिए संस्थागत विकास, राष्ट्रीय भवन संगठन और भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद के लिए है।
- 19.05. **केंद्रीय घटक की अन्य मदें:** यह प्रावधान स्थापना व्यय, क्षमता निर्माण गतिविधियों और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्य विविध केंद्रीय घटक के लिए है।
- 19.06. **जापानी बुखार और एक्यूट एनसिफेलिटिस सिंड्रोम से प्रभावित गंदी बस्तियों में पेयजल आपूर्ति की योजना:** जापानीज इन्सेफेलाइटिस / एक्यूट इन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम (जेई / एईएस) प्रावधान जापानी इन्सेफेलाइटिस से प्रभावित स्वच्छ क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए है।

19.07. **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक की अन्य मदें:** प्रावधान पी एम् ए वाई (यू) की इस योजना के तहत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए है। यह भी अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) और अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) पर होने वाले खर्च भी शामिल है।

20. **दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम):** प्रावधान डी ए वाई-एनयूएलएम, गरीब की मजबूत जमीनी संस्थानों के सृजन के माध्यम के रूप में भी लाभकारी स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के अवसरों का उपयोग करने के लिए उन्हें सक्षम करने से गरीबी और शहरी गरीब परिवारों के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से इस योजना के लिए है। मिशन भी शहरी सड़क विक्रेताओं का मतलब है कि शहरी बेघर करने के लिए आवश्यक सेवाओं के साथ सुसज्जित घरों में उपलब्ध कराने पर और आजीविका को संबोधित करना है।

20.01. **दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम):** प्रावधान स्थापना व्यय, मिशन निदेशालय और अन्य विविध में क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए है। एनयूएलएम की योजना के लिए केंद्रीय घटक है।

20.02. **दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम):** प्रावधान एनयूएलएम की योजना के तहत राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेश को केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए है और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए पिछली योजनाओं के तहत राज्यों की परियोजनाओं की ओर व्यय को पूरा करने के लिए है।

22. **अटल पुनर्जागरण और शहरी सुधार मिशन:** प्रावधान अमृत, यूआईडी सैटेलाइट और काउंटर मैग्रेट सिटी, के लिए और राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनयूआईएस), शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण योजना के लिए बनाया गया है।

23. **स्मार्ट सिटी मिशन:** 23.01 - 23.02

प्रावधान 100 स्मार्ट शहरों के विकास और शहरी विकास के क्षमता निर्माण के लिए है।

24. **स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) शहरी:** प्रावधान स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की योजना के लिए है। यह व्यय राष्ट्रीय स्वच्छता कोष से निधिपोषित होगी जो विधि स्वच्छ भारत उपकर से स्थापित की गई है।